IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड कानपुर-02

5सी-111 आवास विकास हंसपुरम् नौबस्ता कानपुर

Email ID :- eecd18@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरोIS 15700

SQMS

पत्र सं0– 1001 / M-10 / 04 दिनांक– 16 / 07 / 2025

कोटेशन आमन्त्रण सूचना

अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड कानपुर-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कानपुर, के लिये मासिक एवं दैनिक किराये के आधार पर वाहन (फोर्ड इकोस्पोर्ट/टोयटा इटियास/हुन्डई एक्सेन्ट/होण्डा अमेज) हेतु दिनांक 31.07.2025 को अपराह्न 03.00 बजे कोटेशन आमंत्रित की जाती है। निम्न शर्तो के अनुरूप चार पहिया (फोर्ड इकोस्पोर्ट/टोयटा इटियास/हुन्डई एक्सेन्ट/होण्डा अमेज) एक नग वाहन की आवश्यकता है। वाहन किराये पर लेने के लिए रजिस्ट्रड/ख्याति प्राप्त ट्रेवेल एजेन्सी (जो शासकीय नियमानुसार सेवाकर हेतु पंजीकृत है) से मुहर बन्द लिफाफा पद्धति में कोटेशन आमित्रत किये जाते है। कोटेशन दिनांक 31.07.2025 को अपराह्न 04.00 बजे उपस्थिति ट्रेवेल ऐजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेगें।

कोटेशन की शर्तेः-

1- सम्बन्धित ऐजेन्सी को नियमानुसार सेवाकर (जी0एस0टी0) का भुगतान करना होगा। अतः जी0एस0टी0 पंजीकृत फर्म/संस्था ही इस कार्य हेतु आवेदन करें जो सेवाकर का वैध पंजीयन रखते हो। सेवाकर की अंतिम अद्यतन रिर्टन कोटेशन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2- अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा वाहन का मासिक किराया मय ईधन के राशि का भुगतान किया जायेगा वाहन का वाहन चालक का वेतन, वाहन मरम्मत, दुर्घटना, टूटफूट आदि समस्त व्यय ट्रैवल एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगे।

3- वाहन का किराया 2500 किलोमीटर तक रू0 34500.00(मय वाहन, ईधन व ड्राईवर सहित) प्रतिमाह तथा निर्धारित सीमा के अतिरिक्त वाहन रू0 10.00 प्रति किलोमीटर(मय वाहन, ईधन व ड्राईवर सहित) की दर से एवम् रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वाहन का रात्रि चार्जेस रू0 200.00 प्रति रात्रि (मय वाहन, ईधन व ड्राईवर सहित) अतिरिक्त देय होगा।

4- प्रस्तावित वाहन उनके/कम्पनी/फर्म के नाम से पंजीकृत हो तथा आयकर पैन रखते हों।

5- स्वीकृति दरें समान्यतः एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध करना होगा। सेवाएं सन्तोषजनक होने की दशा में अनुबन्ध अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड कानपुर-02, कानपुर द्वारा 6 माह या नवीन कोटेशन जो पहले हो बढ़ायी जा सकती है।

6- वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में अधिशासी अभियंता को एक घण्टे के अन्दर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगां। इससे अधिक समय लगने पर वाहन किराया उस दिन के लिए देय नही होगा साथ ही अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड कानपुर-02, कानपुर को अधिकार होगा कि वह अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार कि व्यवस्था में यदि को अतिरिक्त व्यय आता है तो वह ट्रैवल ऐजेंसी से वसूल किया जायेगा। वाहन को खराब होने के स्थान से लाये जाने का दायित्व ट्रैवल ऐजेंसी का होगा।

7- न्यूनतम कोटेशन देने वाली ट्रैवल ऐजेंसी द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध न करने पर अगले(न्यूनतम दर से एक ऊपर) कोटेशन देने वाले से अनुबन्ध की कार्यवाही की जा सकेगी।

8- वाहन का माइलोमीटर सदैव चालू रखना अनिवार्य होगा।

9- अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड कानपुर-02, कानपुर को उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर वाहन मय चालक सहित उपलब्ध कराना होगा।

10- ट्रैवल ऐजेंसी का डाक का पता एवं सम्पर्क व्यक्ति का नाम/दूरभाष नं0 एक पत्रक से संलग्न करना होगा।

11- यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानों पर भी ले जायी जायेगी। ट्रैवल ऐजेंसी के ड्राइवर का यह कर्तव्य होगा कि अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड कानपुर-02, कानपुर के आदेशों का पालन करें।

12- वाहन के साथ वाहन के समस्त कागजात तथा मूल पंजीयन बीमा पॉलिसी (P.U.C.) इत्यादि रखना अनिवार्य होगा।

13- ट्रैवल ऐजेंसी को ड्राइवर के पास बीमा पंजीयन प्रमाण पत्र मूलरूप में एवं वाहन चलाने का लांइसेंस कागजात वाहन में हमेशा साथ रखने होंगे। वाहन टैक्स पेड होगा तथा स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा। वाहन इन्सोर्ड रहेंगे, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होनी पर पूर्ण रूप से ट्रैवेल एजेन्सी उत्तरदायी होगी तथा समस्त खर्च वहन करेगी।

14- वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है, वाहन में हर समय अच्छी स्थिति में स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये टायर, टयूब नये होने चाहिये।

15- ऐजेंसी द्वारा अनुबन्ध की शर्तो/शासकीय नियमों/कर प्रवाधान की उल्लघन की स्थित में अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार अधिशासी अभियंता के पास सुरक्षित होगा एवं यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये 07 दिवस का लिखित नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकेगा।

16- नियम समय व तिथि के पश्चात प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

17- अनुबन्ध निष्पादन के दिनांक से ही वांछित वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वाहन के साथ लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा। लॉग बुक उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा प्रति दिन भरी जायेगी।

18- मासिक किरायेदारी पर वाहन लिये जाने पर वाहन कार्यालय/आवास में खडी करना होगा।

19- सर्विस टैक्स, पैन नं0, आर0टी0ओ0 वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा। इसके प्रमाणक तकनीकी कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20- वाहन स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद में वाहन प्रदाय संस्था(द्वितीय पक्ष) उत्तरदायी होगा।

21- वाहन चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान एवं नशे सम्बन्धी गतिविधियां पूर्णतः वर्जित होगी ।

22- ट्रैवल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाहन में 02 जोडी सीट कवर, टॅवेल, परफयूम, रींडिग लेम्प, टार्च, बारिश के मौसम से छाता, सीटबेल्ट एवं अग्निशमन यंत्र इत्यादि अनिवार्य रखना आवश्यक होगा।

23- ट्रैवल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन एवं वाहन चालक को बदलने से पूर्व अधिशासी अभियंता की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य वाधित होते है।

24- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कानपुर का होगा।

25- समस्त प्रकार के करों आदि की कटौती अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड कानपुर-02, कानपुर के कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

26- देयक से सर्विस टैक्स की राशि तभी भुगतान की जायेगी जब सम्बधिंत संस्था उसको जमा कराने का स्वाप्रमाणित प्रमाण अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड कानपुर-02, कानपुर कार्यालय में जमा करा दें।

27- समस्त प्रकार के परिवहन, सेवाकर, श्रम कानून, आयकर एवं अन्य प्राविधानों के पालन के लिए ट्रैवल एजेंसी उत्तरदायी होगी।

28- प्राप्त कोटेशन में से एल1 न्यूनतम दरों के आधार पर चयन होगा। एल1 को मासिक आधार पर प्रतिदिन के आधार पर पृथक परीक्षित किया जायेगा।

(मिश्री लाल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 1001 /M-10 /04 दिनांकः 16-07-2025

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, कानपुर वृत्त, उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. सहायक अभियंता/अवर अभियंता (मु0) नि0ख0-02 कानपुर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. गार्ड पत्रावली।

16/7/25
अधिशासी अभियन्ता